(17)

कृषि उत्पादन आयुक्त / अध्यक्ष, राज्य औद्यानिक मिशन की अध्यक्षता में कार्य परिषद की पंचम बैठक दिनांक 09–01–2007 की कार्यवृत्ति

एजेण्डा	प्रस्ताव	निर्णय
1. राज्य औद्यानिक मिशन कार्य परिषद की दि0 02.08.2006 को आयोजित चतुर्थ बैठक के कार्यवृत्ति के अनुपालन पर अनुमोदन	राज्य औद्यानिक मिशन कार्य परिषद की बैठक दिनांक 02.08.2006 में लिये गये निर्णयों की अनुपालन पर अनुमोदन।	कार्यवाही अनुमोदित।
2. कृषि विश्वविद्यालयों एवं भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद की संस्थाओं को उपलब्ध कराने हेतु उपकार को उपलब्ध करायी गयी धनराशि रू0 173.05 लाख एवं कार्य के क्रियान्वयन, अनुश्रवण एवं मूल्यांकन हेतु कुल उपलब्ध करायी गई धनराशि का 3.5 प्रतिशत मिशन मैनेजमेन्ट मद से दिये जाने का अनुमोदन।	राज्य औद्यानिक मिशन अन्तर्गत प्रदेश के कृषि विश्वविद्यालयों एवं आई0सी0ए0आर0 संस्थानों में विभिन्न इकाइयों की स्थापना से लाभान्वित करने हेतु कार्य परिषद की विगत आहूत बैठक दिनांक 02–08–2006 में लिये गये निर्णय अनुसार उ0प्र0 कृषि अनुसंधान परिषद के माध्यम से निम्नानुसार उल्लिखित इकाइयों की स्थापना हेतु उपकार को एम0ओ0यू0 कराकर रू0 173.05 लाख अवमुक्त कर दी गई है। (तालिका नीचे)	प्रस्ताव यथावत अनुमोदित।

इकाई का नाम	सं0	संस्थान	अवमुक्त धनराशि (लाख रू0 में)
1. माडल नर्सरी की स्थापना	1	केन्द्रीय उपोष्ण बागवानी संस्थान, रहमानखेड़ा, लखनऊ	18.00
	1	सरदार बल्लभ भाई पटेल कृषि विश्वविद्यालय, मेरठ	18.00
2. बायोकन्ट्रोल लैब	1	सरदार बल्लभ भाई पटेल कृषि विश्वविद्यालय, मेरठ	80.00
3. लीफ / टिशू एनालिसिस लैब	1	केन्द्रीय उपोष्ण बागवानी संस्थान, रहमानखेड़ा, लखनऊ	20.00
4. मशरूम लैब	3	सरदार बल्लभ भाई पटेल कृषि विश्वविद्यालय, मेरठ (मेरठ, नगीना, सहारनपुर)	37.05
योग			173.05

<table>
<tr><th>एजेण्डा</th><th>प्रस्ताव</th><th>निर्णय</th></tr>
<tr><td></td><td>संस्थाओं / कृषि विश्वविद्यालयों को उपलब्ध करायी गई धनराशि के कार्यक्रमों का क्रियान्वयन, अनुश्रवण एवं मूल्यांकन उपकार द्वारा किया जाना है जिस हेतु वर्ष 2005–06 में भारत सरकार द्वारा उपलब्ध कराये गये प्राविधानों के आधार पर उपकार को कुल उपलब्ध करायी गई धनराशि रू0 173.05 लाख का 3.5 प्रतिशत धनराशि रू0 6.05 लाख अनुमोदनोपरान्त मिशन प्रबन्धन मद से उपलब्ध कराया जा रहा है।
अतएव कार्य परिषद कृपया औपचारिक अनुमोदन प्रदान करना चाहे।</td><td></td></tr>
<tr><td>3. वर्ष 2006–07 हेतु माडल नर्सरी की स्थापना, बायो कन्ट्रोल लैब, लीफ / टिशू एनालिसिस लैब कार्यक्रमों की कुल धनराशि रू0 154.00 लाख उपकार के माध्यम से कृषि विश्वविद्यालयों / संस्थाओं को दिये जाने का अनुमोदन।</td><td>राज्य औद्यानिक मिशन कार्य परिषद की सम्पन्नित चतुर्थ बैठक दिनांक 02–08–2006 में लिये गये निर्णय के क्रम में वर्ष 2006–07 हेतु भी चिन्हित निम्नलिखित कार्यक्रमों का क्रियान्वयन आई0सी0ए0आर0 की संस्थाओं एवं कृषि विश्वविद्यालयों में कराने हेतु धनराशि उपकार के माध्यम से तभी अवमुक्त की जानी है जब भारत सरकार से वर्ष 2006–07 हेतु धनराशि अवमुक्त हो जिसका अनुमोदन कार्य परिषद से निवेदित है।
<table>
<tr><th>कार्यक्रम</th><th>सं0</th><th>संस्था</th><th>धनराशि (रू0 लाख)</th></tr>
<tr><td>1. माडल नर्सरी</td><td>1</td><td>कृषि विश्वविद्यालय, कानपुर</td><td>18.00</td></tr>
<tr><td></td><td>1</td><td>कृषि विश्वविद्यालय, कुमारगंज, फैजाबाद</td><td>18.00</td></tr>
<tr><td></td><td>1</td><td>कृषि विश्वविद्यालय, कुमारगंज, फैजाबाद के कृषि विज्ञान केन्द्र / शोध केन्द्र</td><td>18.00</td></tr>
<tr><td>2. बायो कन्ट्रोल लैब</td><td>1</td><td>केन्द्रीय उपोष्ण उद्यान संस्थान, लखनऊ</td><td>80.00</td></tr>
<tr><td>3. लीफ / टिशू एनालिसिस लैब</td><td>1</td><td>बी0एच0यू0, वाराणसी</td><td>20.00</td></tr>
<tr><td>योग</td><td></td><td></td><td>154.00</td></tr>
</table>
कृपया कार्य परिषद वर्ष 2006–07 हेतु उपकार के माध्यम से संस्थाओं / कृषि विश्वविद्यालयों को भारत सरकार से धनराशि अवमुक्त होने पर उपलब्ध कराये जाने का अनुमोदन एवं वर्ष 2006–07 हेतु भारत सरकार द्वारा मिशन मैनेजमेन्ट के लागू प्रतिशत के अनुसार उपकार को कार्यक्रमों के क्रियान्वयन हेतु धनराशि दिये जाने पर अनुमोदन प्रदान करना चाहें।</td><td>1. रू0 154 लाख की धनराशि सम्बन्धित संस्थाओं को उपलब्ध धनराशि से उपकार के माध्यम से उपलब्ध कराये जाने, वर्ष 2006–07 हेतु भारत सरकार द्वारा धनराशि प्राप्त होने पर प्रतिपूर्ति करने एवं मिशन मैनेजमेन्ट मद से 3.5 प्रतिशत की दर से धनराशि दिये जाने का अनुमोदन प्रदान किया गया।
2. प्रति इकाई प्राविधानित धनराशि में से ही 10 प्रतिशत धनराशि आपरेशनल एक्सपेन्सेज पर व्यय करने का अनुमोदन प्रदान किया गया।</td></tr>
</table>

(15)

एजेण्डा	प्रस्ताव	निर्णय
4. मण्डी परिषद से होलसेल मार्केट एवं 3 पुष्प बाजार हेतु प्राप्त प्रायोजना / प्रस्ताव रू0 5182.31 लाख में से रू0 1295.59 लाख जो सहायता राशि के रूप में राज्य मण्डी परिषद को हस्तांतरित किया जाना है, भारत सरकार को स्वीकृतार्थ संदर्भित की जा चुकी है, का अनुमोदन।	राज्य औद्यानिक मिशन कार्य परिषद की चतुर्थ सम्पन्नित बैठक दिनांक 02-08-2006 में लिये गये निर्णय के परिपालन में मण्डी परिषद, लखनऊ द्वारा प्राप्त प्रायोजना प्रस्ताव धनराशि रू0 5182.31 लाख में से रू0 1295.59 लाख मिशन अंश मण्डी परिषद को उपलब्ध करायी जानी है जिस हेतु प्रस्ताव भारत सरकार के स्वीकृतार्थ प्रेषित कर दिया गया है जिसकी स्वीकृत प्राप्त होते ही प्रश्नगत धनराशि मण्डी परिषद, उ0प्र0 को उपलब्ध करानी होगी। कार्य परिषद कृपया भारत सरकार से स्वीकृत प्राप्त होने के उपरान्त धनराशि रू0 1295.59 लाख मण्डी परिषद को उपलब्ध कराये जाने का अनुमोदन प्रदान करना चाहें।	भारत सरकार से अनुमति प्राप्त होने पर मण्डी परिषद को धनराशि रू0 1295.59 लाख उपलब्ध कराये जाने का अनुमोदन प्रदान किया गया।
5. ग्रामीण बाजार की स्थापना हेतु भारत सरकार द्वारा वर्ष 2005–06 हेतु अवमुक्त धनराशि रू0 93.75 लाख एवं वर्ष 2006–07 हेतु प्रस्तावित रू0 90.00 लाख पंचायती राज विभाग को उपलब्ध कराये जाने का अनुमोदन।	राज्य औद्यानिक मिशन कार्य परिषद की प्रथम सम्पन्नित बैठक दिनांक 03–10–2005 में यह निर्णय लिया गया था कि ग्रामीण बाजारों की स्थापना का कार्य पंचायती राज विभाग, उ0प्र0 से प्रस्ताव प्राप्त कर कराया जाये। इसी क्रम में वर्ष 2005–06 हेतु भारत सरकार द्वारा कुल 54 ग्रामीण बाजारों की स्थापना हेतु रू0 202.50 लाख की स्वीकृत कार्य योजना में से 25 ग्रामीण बाजारों हेतु रू0 93.75 लाख अवमुक्त किया जा चुका है तथा वर्ष 2006–07 हेतु सैद्धान्तिक सहमति प्रदत्त कार्य योजना में 24 ग्रामीण बाजारों की स्थापना हेतु रू0 90.00 लाख का प्राविधान है। भारत सरकार द्वारा वर्ष 2006–07 हेतु अभी धनराशि अवमुक्त की जानी है। अतएव वर्ष 2005–06 हेतु 25 ग्रामीण बाजारों की स्थापना हेतु भारत सरकार से अवमुक्त धनराशि रू0 93.75 लाख तथा वर्ष 2006–07 में 24 ग्रामीण बाजारों की स्थापना हेतु भारत सरकार से अवमुक्त होने वाली धनराशि रू0 90.00 लाख पंचायती राज विभाग, उ0प्र0 को उपलब्ध कराये जाने हेतु कार्य परिषद से अनुमोदन निवेदित है।	1. पंचायती राज विभाग से प्राप्त प्रस्तावानुसार 16 ग्रामीण बाजारों की स्थापना हेतु रू0 28.57 लाख की धनराशि पंचायती राज विभाग, उ0प्र0 को उपलब्ध कराये जाने का निर्णय लिया गया एवं पंचायती राज विभाग से अन्य, प्राथमिक ग्रामीण बाजारों को चिन्हित कर उनके प्रस्ताव शीघ्र प्रस्तुत करने की अपेक्षा की गई। 2. मण्डी परिषद से समन्वय कर उपलब्ध धनराशि के सापेक्ष ग्रामीण बाजारों के स्थापना का प्रस्ताव यथाशीघ्र प्राप्त कर धनराशि अवमुक्त की जाये।

एजेण्डा

6 नेफेड से जैविक खेती के अंगीकरण, आई0पी0एम0 प्रशिक्षण एवं तकनीकी प्रसार हेतु प्राप्त प्रोजेक्ट का अनुमोदन दिये जाने पर विचार।

प्रस्ताव

भारतीय राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ (नफेड), नई दिल्ली से जैविक खेती के अंगीकरण, आई0पी0एम0 प्रोत्साहन, प्रशिक्षण एवं तकनीकी प्रसार हेतु प्राप्त प्रस्ताव राज्य औद्यानिक मिशन से वित्त पोषण कराने हेतु कार्य परिषद की बैठक में विचार हेतु प्रस्तुत है। नेफेड द्वारा प्रस्तुत प्रायोजना प्रस्ताव में निम्नलिखित कार्यक्रम प्रस्तावित किये गये हैं उनमें से निम्नानुसार जो कार्यक्रम उपयुक्त हैं उनका क्रियान्वयन नेफेड से कराये जाने में कार्य परिषद का अनुमोदन अपेक्षित है।

नेफेड द्वारा प्रस्तावित कार्यक्रम				विभाग द्वारा संस्तुत	
कार्यक्रम	यूनिट	भौ0	वित्तीय	भौ0	वित्तीय
1. कृषक प्रशिक्षण दर रू0 1500 प्रति कृषक	सं0	5000	75.00	5000	75.00
2. ट्रेनर्स ट्रेनिंग दर रू0 50,000	सं0	100	50.00	25 ट्रेनर्स प्रति बैच (कुल 10 बैच)	5.00 (दर रू0 50,000 प्रति बैच)
3 आई0पी0एम0 प्रोत्साहन दर रू0 1000 प्रति है0	है0	5000	50.00	वर्ष 2006–07 हेतु जनपद स्तर पर अवशेष लक्ष्यों के अनुसार कार्यक्रम एवं धनराशि हस्तांतरित की जा सकती है।	
4. पर्यवेक्षीय प्रशिक्षण	–	–	20.00	–	–
5. जैविक खेती का अंगीकरण दर रू0 10,000 प्रति है0	है0	5000	500.00	वर्ष 2006–07 हेतु जनपद स्तर पर अवशेष लक्ष्यों के अनुसार कार्यक्रम एवं धनराशि हस्तांतरित की जा सकती है।	
6. मिशन मैनेजमेन्ट दर 5 प्रतिशत	–	–	32.5	–	1.27 प्रतिशत की सीमा तक

जैविक उत्पादन के प्रमाणीकरण की कार्ययोजना अलग से भारत सरकार को स्वीकृत हेतु प्रस्तुत की जायगी।

कृपया कार्य परिषद नेफेड के माध्यम से उक्त कार्यक्रम कराये जाने हेतु विभाग द्वारा संस्तुत प्रस्ताव पर सहमतापरान्त अनुमोदन प्रदान करना चाहें।

निर्णय

प्रस्ताव यथावत अनुमोदित किया गया। प्रमाणीकरण हेतु नेफेड से प्रस्ताव प्राप्त कर भारत सरकार से 45 दिनो में स्वीकृति प्राप्त करने के निर्देश दिये गये।

<table>
<tr><th>एजेण्डा</th><th>प्रस्ताव</th><th>निर्णय</th></tr>
<tr><td>7. जिला औद्यानिक मिशन से प्रशिक्षण, भ्रमण व वैज्ञानिकों को मानदेय आदि की धनराशि अग्रिम के रूप में उपलब्ध कराने पर विचार।</td><td>जिला औद्यानिक मिशन अन्तर्गत कृषकों को प्रदेश के भीतर–बाहर विशिष्ट उत्पादन क्षेत्रों एवं सम्बधित संस्थानों के 7 दिवसीय भ्रमण हेतु प्रति भ्रमण रू0 1.25 लाख का प्राविधान किया गया है। इस धनराशि में कृषकों के आने–जाने का रेल/बस किराया, भोजन व्यय, स्थानीय यात्रा व्यय एवं ठहरने का व्यय सम्मिलित है। इसी प्रकार जनपद स्तर पर दो दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम हेतु रू0 1500 प्रति कृषक की दर से 25 कृषकों के समूह हेतु रू0 37500 का प्राविधान एक प्रशिक्षण कार्यक्रम के लिए है. जिसमें कृषको को प्रशिक्षण किट, प्रशिक्षण व्यवस्था एवं वैज्ञानिकों का मानदेय आदि सम्मिलित हैं।

उपरोक्त भ्रमण/प्रशिक्षण कार्यक्रम सम्पादित करने के लिए प्रति भ्रमण/प्रशिक्षण हेतु प्राविधानित धनराशि की आवश्यक व्यवस्था हेतु एकमुश्त आवश्यकता होती है जिसका व्यय उपरोक्त प्रस्तावित मदों पर सुनिश्चित करने हेतु एक मुश्त अग्रिम आहरण की स्वीकृत प्रदान किये जाने का प्रस्ताव है। स्वीकृत अग्रिम के सापेक्ष वास्तविक व्यय पूर्ण वित्तीय नियमों का पालन करते हुए सुनिश्चित किया जायेगा।

कार्य परिषद कृपया भ्रमण/प्रशिक्षण कार्यक्रम हेतु एक मुश्त अग्रिम आहरण की स्वीकृति दिये जाने पर विचार करना चाहें।</td><td>यथा प्रस्ताव अनुमोदित किया गया।</td></tr>
<tr><td>8. मिशन कार्यक्रमों के व्यापक प्रचार–प्रसार हेतु प्रकाशित कराये गये विज्ञापनों पर हुये व्यय का कार्योत्तर अनुमोदन।</td><td>राज्य औद्यानिक मिशन अन्तर्गत क्रियान्वित किये जाने वाले कार्यक्रमों का अधिक से अधिक लाभ कृषकों को प्राप्त हो। इस उद्देश्य से मिशन कार्यक्रमों का प्रचार–प्रसार दैनिक समाचार पत्रों के माध्यम से कराया गया है (संलग्नक–4)। प्रचार–प्रसार कार्यक्रमों के विज्ञापन पर रू0 4,28,499 का व्यय निम्न विवरण के अनुसार हुआ है जिसका कार्योत्तर अनुमोदन कार्य परिषद से अपेक्षित है।

<table>
<tr><th>प्रकाशन का दिनांक</th><th>समाचार पत्र का नाम</th><th>विषय</th><th>व्यय धनराशि (रू0)</th><th>अभ्युक्ति</th></tr>
<tr><td>21–04–2006</td><td>1. दैनिक जागरण, लखनऊ
2. हिन्दुस्तान, लखनऊ</td><td>किराये पर वाहन/संविदा पर स्टाफ के लिए प्लेसमेन्ट एजेंसी हेतु विज्ञापित निविदा सूचना</td><td>4833</td><td>डी0ए0वी0पी0 दर पर</td></tr>
<tr><td>12–05–2006</td><td>– तदैव –</td><td>– तदैव –</td><td>5453</td><td>– तदैव –</td></tr>
<tr><td>29–06–2006</td><td>– तदैव –</td><td>– तदैव –</td><td>5453</td><td>– तदैव –</td></tr>
</table>
</td><td>यथा प्रस्ताव अनुमोदित।</td></tr>
</table>

(12)

एजेण्डा	प्रस्ताव	निर्णय
	<table><tr><td>16–07–2006</td><td>1. दैनिक जागरण, लखनऊ, कानपुर, गोरखपुर, वाराणसी, इलाहाबाद, 2. हिन्दुस्तान, लखनऊ 3. राष्ट्रीय सहारा, लखनऊ, गोरखपुर 4. अमर उजाला, आगरा, मेरठ</td><td>मिशन कार्यक्रमों का व्यापक प्रचार–प्रसार</td><td>159816</td><td>– तदैव –</td></tr><tr><td>15–08–2006</td><td>1. टाइम्स आफ इण्डिया, लखनऊ 2. दैनिक जागरण वाराणसी 3. आज, लखनऊ 4. हिन्दुस्तान, लखनऊ 5. सहारा रोजनामा, उर्दू</td><td>15 अगस्त के अवसर पर मिशन कार्यक्रमों का व्यापक प्रचार–प्रसार</td><td>252944</td><td>– तदैव –</td></tr></table> कृपया मिशन कार्यक्रमों के प्रचार–प्रसार हेतु विज्ञापनों पर व्यय धनराशि रू0 428499 का कार्योत्तर अनुमोदन प्रदान करना चाहें।	
9. मानव संसाधन विकास कार्यक्रम में चयनित औद्यानिक फसलों की उत्पादन तकनीकी विषयक 500 पुस्तकों के मुद्रण पर हुये व्यय धनराशि रू0 1,18,111.00 का कार्योत्तर अनुमोदन।	राज्य औद्यानिक मिशन योजनान्तर्गत तकनीकी के प्रचार–प्रसार हेतु विभिन्न संस्थाओं से प्राप्त साहित्य का संकलन कर 500 पुस्तकों का मुद्रण सूचना विभाग, उ0प्र0 के माध्यम से उनकी अनुमोदित दरों पर कराया गया था जिसपर धनराशि रू0 1,18,111.00 का व्यय हुआ है। मानव संसाधन विकास कार्यक्रम विभिन्न नवीन तकनीकी विधाओं के अंगीकरण हेतु एक प्रक्रिया है जिसके निमित्त तकनीकों एवं तकनीकी साहित्य का बैकअप अति आवश्यक है। कार्य परिषद कृपया कार्यक्रम अन्तर्गत व्यय धनराशि की कार्योत्तर स्वीकृत प्रदान करना चाहें।	यथा प्रस्ताव अनुमोदित।

एजेण्डा	प्रस्ताव	निर्णय
10 मिशन अन्तर्गत 3 नए एम्बेसडर कार के क्रय पर रू0 3844 के अतिरिक्त व्यय की स्वीकृति।	राज्य औद्यानिक मिशन अन्तर्गत 3 नए वाहन (एम्बेसडर कार) क्रय किये जाने हेतु शासनादेश सं0 3600 / 58–2006–117 / 06 दिनांक 25–09–2006 द्वारा रू0 10,56,741.00 की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान की गई थी। जिसके सापेक्ष उक्त 03 वाहनों के क्रय पर धनराशि रू0 1060585 व्यय हुआ है। जिसमें रू0 3844 व्ययाधिक्य हुआ है जिसकी कार्योत्तर स्वीकृत अपेक्षित है। कार्य परिषद कृपया उपरोक्तानुसार 03 वाहनों के क्रय पर व्ययाधिक्य धनराशि रू0 3844 / – की स्वीकृति करने पर विचार करना चाहें।	प्रश्नगत प्रस्ताव अनुमोदित।
11. अध्यक्ष महोदय की अनुमति से अन्य विन्दु।	1. मिशन कार्यक्रमों का क्रियान्वयन में ग्रोवर्स एसोसियेशन का सहयोग लिया जाये। अखबारों में विज्ञापन के माध्यम से ग्रोवर्स एसोसियेशन को आमन्त्रित किया जाये तथा जनपद स्तर पर चिन्हीकरण किया जाये।	अनुमोदित।
	2. जिला स्तर पर कार्यक्रमों के सत्यापन हेतु अपर जिलाधिकारी स्तर की अध्यक्षता में गठित कमेटी को परिवर्तित कर उसमे ए0डी0ओ0 स्तर के कर्मियों को ही रखा जाये तथा यह कमेटी ब्लाक / ग्राम स्तरीय हो।	अनुमोदित।
	3. पुष्प विकास के कार्यक्रमों के क्रियान्वयन में कृषि विज्ञान केन्द्रों का सहयोग लिया जाये।	अनुमोदित।
	4. बड़ी पौधशाला के स्थापना का विश्वविद्यालयों के माध्यम से प्राप्त एक माडल प्रोजेक्ट नाबार्ड को उपलब्ध कराया जाये।	अनुमोदित।
	5. स्वायल हेल्थ कार्ड बनाया जाये और स्वायल टेस्टिंग हेतु वांछित धनराशि कृषि विभाग को हस्तानान्तरित कर दिया जाये।	अनुमोदित।
	6. मिशन अन्तर्गत आवश्यक जनपदों में मोबाइल स्वायल टेस्टिंग लैब का प्रस्ताव वर्ष 2007–08 की कार्य योजना में सम्मिलित किया जाये।	अनुमोदित।
	7. प्रदेश में उद्यान विभाग द्वारा पंजीकृत पौधशालाओं को एक कमेटी गठित कर पौधशाला चिन्हित कर उपलब्ध गुणवत्तायुक्त पौधों का सत्यापन कर लिया जाये और इन्हीं गुणवत्तायुक्त रोपण सामग्री का मिशन कार्यक्रमों में रोपण कराया जाये।	अनुमोदित।
	8. प्रदेश के 3 कृषि विश्वविद्यालयों को उनके द्वारा आच्छादित मिशन जनपदों में उनके कृषि विज्ञान केन्द्रों के माध्यम से ग्रोवर्स एसोसियेशन गठित करने, उनका एन0एच0बी0 से पंजीकरण कराने के निर्देश दिये गये।	अनुमोदित।

(10)

एजेण्डा	प्रस्ताव	निर्णय
	9. मिशन कार्यक्रमों के प्रभाव का आकलन हेतु अगले 5 वर्ष का क्षेत्र विस्तार, उत्पादकता निवेश की आवश्यकता, रोजगार सृजन एवं आय में संभावित वृद्धि का आंकलन करा लिये जाने के निर्देश दिये गये।	अनुमोदित।
	10. मिशन कार्यक्रमों की पाक्षिक समीक्षा कृषि उत्पादन आयुक्त महोदय द्वारा माह के प्रथम एवं तृतीय बुधवार को साय 5.00 बजे की जायेगी।	अनुमोदित।